न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट(म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—अमनदीपसिंह छाबडा)

प्रकरण क्रमांक 617 / 065 संस्थित दिनांक 16.09.2006 फा.नं.234503000152006

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बिरसा जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन

//विरुद्ध//

नरसिंह पिता सोनसिंह यादव, उम्र—26 वर्ष, निवासी ग्राम मोहगांव थाना मलाजखंड जिला बालाघाट(म0प्र0)

...आरोर्प

ःनिर्णयःः

<u> [दिनांक 27 / 09 / 2017 को घोषित]</u>

- 1. आरोपी के विरुद्ध धारा—279, 338 एवं 304ए भा.द.वि. के तहत् दण्डनीय अपराध का आरोप है, कि उसने दिनांक 23.07.2006 को समय 2:45 बजे दिन में स्थान रमगढ़ी—मानेगांव के बीच तालाब के पास पी.डब्ल्यू.डी. रोड थाना अंतर्गत बिरसा में अपने वाहन स्वराज माजदा क्रमांक एम.पी.50जी.0216 को लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक एवं लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर प्राथी खुशियालिसंह के वाहन मोटर सायिकल हीरो होण्डा क्रमांक एम.पी.50बी.बी. 0310 को टक्कर मारकर खुशियालिसंह की दांई क्लेविकल एवं दांई सीपुला अस्थि में अस्थिभंग कर घोर उपहित कारित किया तथा आहत मधु टेकाम की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है।
- 2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी खुशियालिसंह ने थाना आकर रिपोर्ट लेख कराया कि वह मधु टेकाम के साथ बखारीटोला से मोटर सायिकल हीरो होण्डा जा रहा हथा, तभी रमगड़ी तालाब के पास से आगे रास्ते पर स्वराज माजदा वाहन कमांक एम.पी.50जी.0216 के चालक ने वाहन को तेज रफ्तार और लापरवाही से मानेगांव की ओर से चलाकर लाया और उनकी मोटर सायिकल को टक्कर मार दिया, जिससे मधु और वह गिर गये। गिरने से चोटें आने के कारण मधु मौके पर ही फौत हो गया तथा उसे मस्तक, सीना, दाहिने हाथ की भुजा, दाहिने पैर की उंगली में चोटें आई थी। मौके से

दिनेश कटरे ने गाड़ी की व्यवस्था कर थाने लेकर आया था। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अपराध धारा—279, 337, 304ए भा.दं०सं० का कायम कर विवेचना में लिया गया। मृतक मधु टेकाम के शव का पंचायतनामा कार्यवाही के पश्चात पी.एम. कराया गया। घटनास्थल से एक हीरो होण्डा मोटर सायकिल कमांक एम.पी. 50बीबी.0301 क्षतिग्रस्त हालत में तथा वाहन मालिक के भाई द्वारा पेश करने पर मेटाडोर कमांक एम.पी.50जी.0216 जप्त की गई। जप्ती वाहनों का मैकेनिकल परीक्षण किया गया। प्रार्थी(आहत) की चोटों का मुलाहिजा कराया गया। गंभीर चोटें होने के कारण धारा 338 भा.दं०सं० का ईजाफा किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूटा फंसाया गया है। उसने कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।
- 4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
 - (1) क्या आरोपी ने दिनांक 23.07.2006 को समय 2:45 बजे दिन में स्थान रमगढ़ी—मानेगांव के बीच तालाब के पास पी.डब्ल्यू.डी. रोड थाना अंतर्गत बरसा में अपने वाहन स्वराज माजदा क्रमांक एम.पी.50जी.0216 को लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक एवं लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
 - (2) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन प्राथी खुशियालसिंह के वाहन मोटर सायकिल हीरो होण्डा क्रमांक एम. पी.50बी.बी.0310 को टक्कर मारकर खुशियालसिंह की दांई क्लेविकल एवं दांई सीपुला अस्थि में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?
 - (3) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को आहत मधु टेकाम की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक

मानव वध की कोटि में नहीं आता है ?

ः:सकारण निष्कर्षः:

विचारणीय प्रश्न कमांक 01, 02 तथा 03

साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- 5. साक्षी खुशियालसिंह अ०सा०-02 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग चार साल पूर्व मानेगांव से रमगढ़ी के बीच 04:00 बजे दिन की है। वह और सचिव दोनों मोटरसाईकिल से बैंक जा रहे थे तभी सामने से तेजगति से चौपाया वाहन माजदा आ रहा था, जिसने उन्हें टक्कर मार दिया था, वह लोग अपनी साईड से जा रहे थे, उसके बाद वह बेहोश हो गया था। घटना में उसे सिर, पैर, बक्खा, पीठ आदि में चोटें आई थी, जिनसे खून निकल रहा था। गांववालों ने उसे मलाजखण्ड अस्पताल ले गये थे, जहाँ उसका डॉक्टर मुलाहिजा हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसके सिर एवं बक्खा का एक्स-रे हुआ था। मलाजखण्ड में परीक्षण उपरांत उसे रायपुर परीक्षण हेतु भेजा गया था। इसके अतिरिक्त उसका ईलाज बालाघाट मिताली अस्पताल में भी हुआ था। घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा बोलकर नहीं लिखाई गई थी, किन्तु उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। मर्ग इंटीमेशन प्र.पी.02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 6. साक्षी खुशियालसिंह अ०सा०—०२ ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात की जानकारी न होना कहा है कि वाहन मेटाडोर एवं वाहन माजदा अलग—अलग होते है, वह दोनों वाहन को पहचानता है। यह अस्वीकार किया कि घटना दिन के तीन बजे के पहले की है। यह स्वीकार किया कि जिस सड़क पर उक्त घटना हुई थी वह मुख्य मार्ग है तथा उक्त मुख्य मार्ग प्रायः खाली रहता है। उक्त मुख्य मार्ग पर मोड़ में उक्त घटना घटित हुई थी। यह अस्वीकार किया कि मोड़ होने के कारण दोनों वाहन एक—दूसरे को नहीं दिखाई देते। वह जिस वाहन में बैठा था, उस वाहन को सचिव मधु चला रहा था। यह स्वीकार किया कि उस मुख्य मार्ग पर

जिस स्पीड से अन्य वाहन चलते है उसी गित से उनकी मोटर सायिकल व माजदा वाहन चल रहा था। जिस समय घटना घटित हुई, उस समय पानी गिर रहा था और सड़क भी गिली थी। यह अस्वीकार किया कि रोड गीली होने के कारण मधु मोटर सायिकल पर नियंत्रण नहीं रख पाया था और माजदा के साईड तरफ से टकराकर उन लोग गिर गये थे। यह स्वीकार किया कि दोनों वाहन की टक्कर साईड की ओर से हुई थी। यह अस्वीकार किया कि माजदा वाहन के चालक द्वारा उन्हें बचाने का प्रयास किया गया था। यह स्वीकार किया कि वह मोटर सायिकल में पीछे बैठा था और जैसे ही टक्कर हुई वह बेहोश हो गया था, उसके बाद क्या हुआ उसे जानकारी नहीं है। उसके बाद उसे मलाजखंड अस्पताल में होश आया था।

- 7. साक्षी खुशियालसिंह अ०सा०—02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया कि पीछे बैठे होने के कारण वह यह नहीं बता सकता कि सामने से कौन सा वाहन आ रहा था। यह स्वीकार किया कि माजदा वाहन कौन चला रहा था उसने नहीं देखा था और प्र.पी.01 की रिपोर्ट उसके बताये अनुसार नहीं लिखी गई थी क्योंकि जिस समय उसे थाना लाया गया था, वह बेहोश था। उक्त रिपोर्ट कैसे लिखी गई उसे जानकारी नहीं है। प्र.पी.02 का इंटीमेशन पर जब पुलिसवालों ने हस्ताक्षर कराये थे, उस समय कुछ भी नहीं लिखा गया था। प्र.पी. 01 की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कराने के बाद उसे पढ़कर नहीं बताया गया था। यह अस्वीकार किया कि उनकी मोटर सायकिल का एक्सीडेंट मेटाडोर से हुआ था तथा रोड़ गिली होने के कारण उन लोग स्वयं गिर गये थे और उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। यद्यपि साक्षी ने अपने द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट प्र.पी.01 से इंकार किया है, तथापि प्रथम सूचना रिपोर्ट संपुष्टिकारक साक्ष्य होती हैं, जिसके खंडन से अभियुक्त को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि साक्षी ने मूल घटना का समर्थन किया है।
- 8. साक्षी झनकलाल अ०सा०-4 का कथन है कि वह मृतक मधु टेकाम व सरपंच खुशियालसिंह को जानता है। घटना उसके साक्ष्य देने के करीब पांच साल पूर्व की है। घटना दिनांक को मृतक एंव आहत अपनी मोटरसाइकिल से ग्राम

रमगढ़ी की तरफ से आ रहे थे, तभी एक मेटाडोर मानेगांव से रमगढ़ी की ओर जा रही थी तभी दोनों की टक्कर रमगढ़ी तालाब के पास हुई थी, जिसकी आवाज सुनकर वह घटनास्थल पर गया था। उस समय घटनास्थल के पास ही उसका खेत होने से वह उस समय वहाँ पर था। वह आवाज सुनकर घटनास्थल पर गया था घटनास्थल के पास ही उसका खेत होने से वह वहाँ पर था। जब वह ध ाटनास्थल पर पहुँचा तो मृतक मधु टेकाम की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो चुकी थी एवं आहत खुशियालसिंह बेहोश हो गया था। उक्त मेटाडोर लाल एवं कल्थई रंग की थी, जिसके उपर हरे रंग का त्रिपाल लगा था। उक्त मेटाडोर को कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा था, क्योंकि उसके घटनास्थल पर पहुँचने के पूर्व ही उक्त वाहन वहाँ से जा चुका था एवं मोटरसाइकिल वाले आहत एवं मृतक साईड में गिरे पडे थे। घटनास्थल रोड काफी चौड़ी थी, जिससे एक साथ दो मेटाडोर निकल सकती थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय घटनास्थल पर वह उपस्थित नहीं था। वह आवाज सुनकर घटनास्थल पर गया था। उक्त घटना जुलाई के समय की है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि बारिस की वजह से रोड गीली थी। उक्त दुर्घटना मोटर सायकिल वालों की लापरवाही से हुई हो तो वह नहीं बता सकता, क्योंकि वह उस समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। साक्षी के अनुसार मोटर सायकिल वाले अपनी साईड में गिरे पड़े हुये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि ध ाटनास्थल पर मोड़ है। उसने घटना होते हुये नहीं देखा था तथा घटना के बाद वह घटनास्थल पर गया था। साक्षी ने यद्यपि घटना नहीं देखना व्यक्त किया है, तथापि घटनास्थल पर्याप्त चौड़ाई का होकर आहतगण का अपनी दिशा में होना व्यक्त किया है।

9. साक्षी दिनेश कटरे अ०सा०—1 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना वर्ष 2006 में मानेगांव व रमगढ़ी के बीच करीब 12:00 बजे दिन की है। उक्त दिनांक को मेटाडोर वाहन से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बखारीटोला का सरपंच खुशियालसिंह व सचिव मधु टेकाम आहत हुए थे। इसी बीच वह वहाँ पर पहुँचा और आहतों को पानी पिलाया था, उस समय सचिव फौत हो गया था एवं सरपंच बेहोशी की हालत में था, जिसे उसने थाना बिरसा लेकर गया था

और बाद में पुलिस के साथ अस्पताल लेकर गया था। वह घटना के बाद घटनास्थल पर गया था, इसलिये वह नहीं जानता कि मेटाडोर कौन चला रहा था। वह आहतगण की मोटर सायिकल को टक्कर मारने के बाद घटनास्थल से फरार हो गये थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटनास्थल मुख्य मार्ग है। वह दूर था इसलिये उक्त घटना कैसे घटित हुई थी उसे जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि वहाँ से एक मेटाडोर गुजरा था इसलिये अंदाजे से बताया था कि एक्सीडेंट उसी मेटाडोर से हुआ होगा। उसने पुलिस को प्र.पी.01 का बयान नहीं दिया था, पुलिस ने कैसे लिख लिया वह नहीं जानता। जब वह एक्सीडेंट के बाद खुशियाल परते को जीप से थाना बिरसा लेकर गया था, उस समय वह जीप में ही बैठा हुआ था और वह थाने में नहीं गया था।

- 10. साक्षी अनिल आडवाणी अ०सा0—3 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना वर्ष 2006 की हैउस समय एक चार पिट्टया वाहन उसकी दुकान के सामने खड़ा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अस्वीकार किया कि घटना के समय जगतमल सेठ मोहगांव वाले की मेटाडोर उसकी दुकान पर जनरल एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि एक वाहन जो मेटाडोर स्वराज माजदा था, रामगढ़ी जाने वाले रास्ते की ओर चला गया था। उक्त वाहन गेरूए रंग की थी एवं उसके डाले पर नीले रंग की पाल पानी से बचाव के लिये लगी हुई थी। उसने बयान देते समय वाहन कमांक एम.पी.50जी.0216 नंबर बता दिया था और उस समय गाड़ी कौन चला रहा था, वह उसका नाम नहीं जानता था। साक्षी ने इस बात की जानकारी न होना कहा कि घटना के समय वाहन मेटाडोर को आरोपी नरसिंह चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने घ । एना होते हुए नहीं देखा था। घटनास्थल उसकी दुकान से करीब चार किलोमीटर दूर है। वह आज विश्वास के साथ नहीं बता सकता कि उक्त मेटाडोर से ही दुध रिटना हुई थी।
- 11. साक्षी नरेश अ०सा०–9 का कथन है कि वह आरोपी नरसिंह को

जानता है तथा प्रार्थी खुशियाल को नहीं जानता है। वह मोहन व परसराम को जानता है जो कि उसके भाई है। घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग दस साल पूर्व की है। उसने मोहन के नाम से मेटाडोर स्वराज माजदा खरीदा था, जिसका कमांक एम.पी.50 / जी.-0216 था, जिसे आरोपी नरसिंह को चलाने दिया था, जिसमें वह दमोह व मानेगांव सामान छोड़ने गया था। आरोपी वापस नहीं आया, तो उसने भाई परसराम को मोहगांव भेजा था। दूसरे दिन आरोपी ने उसे बताया था कि उसका मानेगांव के पास एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें दो आदमी जो मोटरसाइकिल में थे को टक्कर मार दिया था। उसने पूछा कि उनका क्या हुआ है, तब उसे आरोपी ने बताया कि घटना कारित करने के बाद वह डर के कारण वहाँ से गाड़ी समेत वापस आ गया था। उसने उक्त वाहन थाने में पेश किया था। उसने अपना पुलिस कथन प्र.पी.07 के ए से ए भाग का बयान पुलिस को देना व्यक्त किया। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उक्त घटना में मध् टेकाम की मृत्यु हुई थी और खुशयालसिंह को चोटें आई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि पुलिस ने उसके बयान घटना के दूसरे दिन जब वह पुलिस थाना गया था, तब लिये थे। उसके बाद पुलिस ने मेरे घटना के संबंध में कोई बयान लेख नहीं किये थे। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को इंकार किया कि नरसिंह ने उसे एक्सीडेंट करने वाली बात नहीं बताई थी। साक्षी के कथनों से ध ाटना के समय प्रश्नगत वाहन से दुर्घटना तथा आरोपी द्वारा उक्त वाहन चालन की पृष्टि होती है।

- 12. साक्षी रामन अ०सा०—5 का कथन है कि उसने मधु टेकाम की मृत्यु के संबंध में मृत्यु जांच पंचनामा में उपस्थित होकर गवाह पंचनामा में हस्ताक्षर किया था। मृत्यु जांच पंचनामा प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पी.एम. रिपोर्ट प्र.पी.04 पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 13. साक्षी पालसिंह अ०सा०—10 का कथन है कि वह मृतक मधु तेकाम को जानता है। पुलिस ने मधु तेकाम की मृत्यु का पंचनामा तैयार किया था, जो प्र. पी.03 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष मधु तेकाम का नक्शा पंचायतनामा घटनास्थल पर बनाया था, जो प्र.पी.04 है, जिसके

बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 14. साक्षी रायिसंह बिसेन अ०सा०—6 का कथन है कि वह दिनांक 23.07.06 को मृतक मधुकर का शव लेकर उनके वारसानों के साथ शव परीक्षण के लिए बिरसा रवाना हुआ और दिनांक 24.07.06 को डॉ० मदन मेश्राम से शव परीक्षण करवाया था। शव परीक्षण उपरांत मृतक के शव को उनके परिजनों को सौंपा गया था। उसने शव प्राप्ति रसीद प्राप्त कर वापस आमद दर्ज कराया था, जो प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- साक्षी डॉ0 एम. मेश्राम अ०सा०–८ का कथन है कि वह दिनांक 15. 24.07.06 को सी.एच.सी. बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को बिरसा के आरक्षक रायसिंह क 647 द्वारा मृतक मधु पिता सुखराम को शव परीक्षण हेत् लाया गया था, जिसकी पहचान मृतक के भाई रूपलाल, जीजा गेंदलाल तथा बहन सीमा ने की थी। मृतक के शरीर पर अकड़न मौजूद थी, आंख एवं मुँह बंद थे। चोट क 01 माथे के बांई ओर एक कटीफटी चोट जो कि सवा इंच गुणा आधा इंच गुणा एक बटा चार थी। चोट क्र02 सिर के दाहिने तरफ एक कटीफटी चोट जो कि सात इंच गुणा दो इंच गुणा एक इंच की थी, जिसमें मांस पेशियाँ बाहर आ गई थी एवं खोपड़ी की हड़डी नजर आ रही थी। चोट क03 दाहिने आंख के नीचे एक कटीफटी चोट जो कि एक इंच गुणा एक बटा चार इंच गुणा थी, चोट क 04 दाहिने जबड़े पर एक कटीफटी चोट जो एक इंच गुणा एक बटा चार इंच थी, चोट क05 दाहिने कंधे से लेकर दाहिने छाती तक एक कुचली चोट थी, जो कि साढ़े सात इंच गुणा चार इंच गुणा दो इंच थी, चोट क06 दाहिने भुजा पर सूजन जो कि अनियमित आकार की थी, चोट क 7 माथे के दाहिने ओर एक कटीफटी चोट जो कि एक इंच गुणा आधा इंच एक बटा चार इंच थी, चोट क08 छाती के दाहिने भाग पर एक सूजन पाया था, जो कि आट इंच गुणा एक इंच की थी। चोट क1, 2 व 7 के नीचे काले रंग के खून के थक्के थे। दाहिनी छाती की 5 से 10 तक की पसलियाँ टूटी हुई थी एवं यकृत का दायां भाग क्षतिग्रस्त था। दाहिनी ह्यूमर्स हड्डी व रेडियो अलना हड्डी टूटी हुई थी, इसके अलावा शरीर के अन्य अंग स्वस्थ थे। उक्त सभी चोटे मृत्यु के पूर्व की थी, जो

किसी कड़ी व बोथरी वस्तु के तेज प्रहार अथवा रोड एक्सीडेंट से आना प्रतीत हो रही थी। उसके शव विच्छेदन का समय 12 घण्टे से ज्यादा परंतु 24 घंटे के बीच का था। मृतक की मृत्यु का कारण सिनकोप था, जो कि यकृत के छत—विछप्त होने से अत्यधिक रक्तस्त्राव के कारण हुआ था, मृत्यु से शव विच्छेदन का समय 12 घण्टे से ज्यादा परंतु 24 घंटे के भीतर का था। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 16. साक्षी डॉ० एम. मेश्राम अ०सा०—8 के अनुसार आहत खुशियालसिंह पिता रामदयाल का परीक्षण हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड में पदस्थ डॉ० के० बनर्जी के द्वारा दिनांक 23.07.16 को किया गया था। आहत के परीक्षण रिपोर्ट में आहत को दाहिनी हसली टूटी होना लेख किया गया था, जिसमें डॉ० के० बनर्जी के हस्ताक्षर है, जिन्हें वह भलीभांति पहचानता है। साक्षी के कथनों से प्रश्नगत दुर्घटना में मधु की मृत्यु तथा खुशियालसिंह को गंभीर उपहति की पुष्टि होती है।
- 17. साक्षी परसराम छाबड़ा अ०सा०—11 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2006 के समय की है। घटना के समय वह अपने भाई के साथ छाबड़ा द्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। घटना के समय वह गाड़ी में सामान लोड करवाकर बालाघाट से भेजता था। उसे पता चला कि माजदा गाड़ी का मानेगांव के पास एक्सीडेंट हो गया, जिसका चालक आरोपी नरसिंह था। घटना में किसे चोटें आई थी उसे नहीं मालूम। उसे याद नहीं कि बिरसा पुलिस ने उसका वाहन जप्त किया था या नहीं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि बिरसा पुलिस ने उससे स्वराज माजदा वाहन कमांक एम.पी.50 / जी—0216 मय कागजात जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.08 बनाया था। प्र.पी.08 के ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। यह अस्वीकार किया कि दिनांक 23.07.2006 को रात में करीब दस बजे दुकान पर आकर झायवर नरसिंग ने बताया था कि मानेगांव किराना दुकान में समान खाली करके मेटाडोर लेकर जल्दबाजी में जा रहा था तो रमगढ़ी तालाब के पास एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक आदमी फौत हो गया तथा दूसरा

आदमी घायल है। साक्षी ने प्र.पी.09 का पुलिस कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया।

- 18. साक्षी पीतरदास अ.सा.07 का कथन है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है तथा उसके द्वारा किसी वाहन का परीक्षण नहीं किया गया। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसने आरक्षी केन्द्र मलाजखंड के अपराध कमांक 46/06 में जप्तशुदा वाहन मेटाडोर कमांक एम.पी. 50जी.0216 का मैकेनिकल परीक्षण किया था।
- 19. उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा चालित वाहन से कारित दुर्घटना में आहत खुशियालिसंह को गंभीर उपहित कारित हुई थी, जबिक मधु की मृत्यु कारित हुई थी, क्योंकि उक्त संबंध में प्रकरण में अखंडनीय साक्ष्य है। केवल विवेचक साक्षी की साक्ष्य न होने के कारण अभियोजन साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि विवेचक साक्षी की साक्ष्य से घटना की पुष्टि मात्र होती है। अभियुक्त द्वारा भी ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी हैं कि घटना के समय वह अन्यत्र था तथा साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में उक्त संबंध में कोई प्रश्न भी नहीं किये गये हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त द्वारा उक्त दुर्घटना उपेक्षा अथवा उतावलेपन से कारित की गयी थी। साक्ष्य की सूक्ष्मता से अवलोकन पर यह दर्शित होता है कि घटना का एक ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षी आहत खुशियालिसंह (अ०सा०–०२) है क्योंकि अन्य साक्षीगण ने घटना न देखना व्यक्त किया है। उक्त साक्षी ने अपनी अखंडनीय साक्ष्य में माजदा वाहन द्वारा उनकी दिशा में आकर टक्कर मारने के कथन किये है, जिसकी पुष्टि झनकलाल अ.सा.04 के कथनों से भी होती है।
- 20. यद्यपि विवेचक साक्षी की साक्ष्य न होने से मौका नक्शा प्रमाणित नहीं कराया जा सका, तथापि मात्र उक्त आधार पर उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि स्वयं अभियुक्त द्वारा भी उक्त संबंध में ना तो कोई साक्ष्य दी गई है और ना ही कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। साक्षी झनकलाल अ.सा.04 ने अपनी अखंडनीय साक्ष्य में घटनास्थल की चौड़ाई पर्याप्त

होना व्यक्त किया है, जिसमें दो मेटाडोर एक साथ निकल सकती थी। न्यायदृष्टांत स्टेट बनाम सरदार सिंह, 1979 एम.पी.डब्ल्यू.एल.57 के अनुसार पर्याप्त चौड़ी सड़क होने के बावजूद गलत साईड से अन्य वाहन को टक्कर मारने का कृत्य अभियुक्त की उपेक्षा का प्रमाण माना जायेगा। ऐसी स्थिति में उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से यह दर्शित है कि घटना के समय अभियुक्त चालक द्वारा अपने उतावलेपन तथा उपेक्षापूर्ण आचरण द्वारा दुर्घटना कारित की गई।

- 21. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना के समय अभियुक्त नरिसंह द्वारा अपने वाहन स्वराज माजदा क्रमांक एम.पी.50जी.0216 को लोक मार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर टक्कर मारकर मधु की मृत्यु तथा खुशियालिसंह को घोर उपहित कारित की। फलतः अभियुक्त चैनिसंह को धारा—279, 338, 304ए भा.द.वि. के आरोप में दोषिसद्ध घोषित किया जाता है।
- 22. अभियुक्त के विरूद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि. का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उसके विरूद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है। अभियुक्त नरसिंह द्वारा कारित तीनों अपराध एक ही संव्यवहार में किये गये हैं। जिस हेतु पृथक—पृथक दंण्ड की प्रणीति न्यायिक प्रतीत नहीं होती। फलतः उसे केवल गुरूत्तर अपराध के लिए दंण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण वर्ष 2006 से विचाराधीन रहा है, जिसमें अभियुक्त कुछ समय छोड़कर उपस्थित होता रहा है।
- 23. अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त नरिसंह को धारा—338 भा.द.सं. में दोषी पाकर 01 माह का साधारण कारावास एवं 1,000 / —(एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा—304ए भा.दं०सं० में दोषी पाकर 06 माह के साधारण कारावास एवं 10,000 / —(दस हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदंण्ड की राशि अदा ना करने पर

अभियुक्त को अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिए एक—एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे। अभियुक्त की दोनों सजाएं साथ—साथ चलेगी तथा आरोपी द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत की गई अविध को मूल कारावास की अविध में समायोजित किया जावे।

- 24. अर्थदण्ड की राशि में से 1,000/— रुपये आहत खुशियालसिंह तथा 10,000/— रुपये मृतक मधु टेकाम के परिजनों को धारा 357(1)(बी) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अपील अविध पश्चात एवं अपील ना होने की दशा में अदा की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।
- 25. आरोपी प्रकरण में दिनांक 04.08.2012 से दिनांक 08.08.2012 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। उक्त संबंध में धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।
- 26. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।
- 27. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन स्वराज माजदा क्रमांक एम.पी. 50जी.0216 वाहन के सुपुर्ददार/आवेदक नरेश कुमार एवं वाहन क्रमांक एम.पी. 50बी.बी.0301 वाहन के सुपुर्ददार/आवेदक रजनी टेकाम की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष मे उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।
- 28. अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा 363(1) द्र.प्र.सं. के तहत निशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / –

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / –

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)